



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ 4 ()/आकाशि/नि.सं./2022/ 335

दिनांक:- 08-6-2022

नोडल अधिकारी/प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:-सत्र 2017-18 से 2021-22 तक लंबित प्रकरणों में निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति दस्तावेजों को प्रमाणित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा सत्र 2017-18 से 2021-22 के लंबित प्रकरणों का निस्तारण हेतु निजी महाविद्यालयों को कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया है। अतः सम्पूर्ण नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संस्था का आवश्यकतानुसार निरीक्षण/परीक्षण कर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति दस्तावेजों को प्रमाणित करने का श्रम करें।

अ.न.सं.

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संस्था सचिव, निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

अ.न.सं.

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर